Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2019 = 6.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, JAN-FEB, 2021, VOL- 8/63

बिहार में वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा : दशा एवं दिशा

कुमार विज्ञानानन्द सिंह, Ph. D.

सहायक प्राध्यापक, बी. एड. विभाग, मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा

Paper Received On: 21 FEB 2021
Peer Reviewed On: 28 FEB 2021
Published On: 1 MAR 2021

Abstract

वर्तमान समय में सामान्य शिक्षा के साथ–साथ समावेशी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा, शिक्षण की ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा के विद्यालयों में पठन–पाठन और आत्म निर्भर बनने का मौका मलता है जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। शिक्षण की इस नवीन प्रणाली से हाशिये पर के वे बच्चे लाभान्वित होते हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या से लेकर पढ़ाई पूरी करने तक विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिहार में विकलांग बच्चे विकास की मुख्यधारा से अलग–थलग दिखाई पड़ते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर उनके विकास के लिए किए जाने वाले अनेकानेक प्रयत्नों के बावजूद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं आया है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अधिकांश आबादी आज भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पायी है। विकास के एक मुख्य मापदंड के रूप में शिक्षा के महत्त्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाय। चूंकि बिहार में समावेशी शिक्षा की दशा व दिशा दोनों ही संतोष जनक नहीं है। वस्तुतः अशिक्षा से उत्पन्न होने वाली सामाजिक विकृतियों एवं असमानता से बचने की बात करते हुए समावेशी शिक्षा की बात कही गयी है। जिस से विकलांग बच्चे अपने आप को समाज का एक कटा हुआ भाग न समझकर समाज का हिस्सा ही समझे। इसके साथ ही विद्यालय शिक्षक एवं समाज के लोग भी उनके साथ सामान्य व्यवहार करें। यह एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हाशिये पर पड़े हुए विशिष्ट बालकों की शिक्षा–दीक्षा सामान्य बच्चों की भांति हो, इस हेतु समुचित प्रबंध होनी चाहिए। इस प्रकार उन्हें समावेशी शिक्षा में शामिल करते हुए उनको देश–प्रदेश तथा समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार कर सकें।

महत्त्वपूर्ण शब्द : *समावेशी शिक्षा, विकलांगता, मुख्यधारा, आत्मनिर्भर, बाधारहित वातावरण*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना :

मानव जीवन में शिक्षा की इतनी अधिक उपयोगिता है कि कहा गया है ''बिना शिक्षा व ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है।'' शिक्षा का संबंध मनुष्य की संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिकता के गुणों के उन्नयन से है। वर्तमान समय में सामान्य शिक्षा के साथ–साथ समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। चूंकि समावेशी शिक्षा के तहत वे बच्चे लाभान्वित होते हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या से लेकर पढ़ाई पूरी करने तक विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्यतः दृष्टि, श्रवण एवं अधिगम अक्षमता के साथ–साथ मानसिक मंदता और बाधिरंधता से ग्रस्त होते हैं। इन्हें सामान्य बच्चों के साथ समायोजित होने में बड़ी कठिनाई होती है। माता–पिता व

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अभिभावकों की सोच भी इन बच्चों के प्रति सकारात्मक नहीं होती है; जिसके कारण वे अपने आपको समाज से कटा महसूस करते हैं। परिणामस्वरूप वे स्कूली शिक्षा से बाहर ही रह जाते हैं। समाज में ऐसे बच्चों की आबादी 5 से 10 फीसदी है। इसीलिए ऐसे बच्चों का शिक्षा में समावेश किया जाना समय व काल की मांग है।

यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इसमें उनकी योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा–संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठ भूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। [1]आज ब्रिटेन तथा अमेरिका जैसे कुछ विकसित देशों में इस प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ आवासीय विद्यालयों के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन हमारा देश भारत विकासशील होते हुए भी इस प्रकार की संस्थाओं से अभावग्रस्त है उसमें भी विशेष कर बिहार जैसे प्रदेश में। बिहार सरकार गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए ढिंढोरापीट रही है परन्तु दुर्भाग्य यह है कि सामान्य बच्चों को समावेशी शिक्षा का पूर्णतः लाभ नहीं मिल रहा है तो विकलांग बच्चों की शिक्षा–दीक्षा को रीकल्पना ही कही जा सकती है। बिहार में समावेशी शिक्षा के तहत न तो ऐसा विद्यालयी–वातावरण तैयार किया गया है और न ही शिक्षक समावेशी शिक्षा के अनुरूप अपने आपको ढाल पा रहे हैं। माता–पिता भी समावेशी शिक्षा के गुढ़ को समझ नहीं पा रहे हैं।

समावेशी शब्द का प्रचलन 1990 के दशक के मध्य से बढ़ा जब 1994 में सलामांका (स्पेन) में यूनेस्को द्वारा विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन सुलभता और समता का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 92 सरकारों और 25 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का समापन इस उद्घोषणा के साथ हुआ कि ''प्रत्येकबच्चे की चरित्रगत विशिष्टताएँ, रूचियाँ योग्यता और सीखने की आवश्यकतायें अनोखी होती है।'' इस लिए शिक्षा प्रणाली में इन विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखा जाना चाहिए। सलामांकावक्तव्य में इस बात पर बल दिया गया कि 'हर शिशु को शिक्षा का बुनियादी अधिकार है और उसे अधिगम का एक स्वीकार्य स्तर प्राप्त करने और बनाये रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।[2]डाकरसेनेगाल (2000) में आयोजित विश्व शिक्षा मंच (वर्ल्ड एजुकेशन फोरम) पर भी शिक्षा में समावेश की बात दोहराई गई। डाकर सम्मेलन में स्पष्ट किया गया कि किसी व्यक्ति या बच्चों के उच्च कोटि की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के अवसर से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह सामर्थ्य से परे हैं, विशेष आवश्यकता वाले अभावग्रस्त उपजाति अल्पसंख्यकों के दूर–दराज और अलग–अलग समुदायों के तथा शिक्षा से वंचित नगरीय व दूसरे लोगों का समावेश वर्ष 2015 तक सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति की रणनीतियों का अभिन्न अंग होना चाहिए।[3]अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन विकास कार्यक्रमों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि कोई भी देश 'समावेशी शिक्षा' को कार्य रूप दिए बगैर अपनी तरक्की कर ही नहीं सकता।

गौरतलब है कि समावेशी शिक्षा, शिक्षा के संबंध में नीति और अभ्यास दोनों स्तरों पर एक वास्तविक परिवर्तन को दर्शाती है। शिक्षार्थियों को इस प्रणाली के केन्द्र में रखा जाता है, जिससे उसकी

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सीखने की विविधता को पहचानने, स्वीकार करने और जवाब देने में सफलता हासिल की जाए। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। इसलिए इस शिक्षा को नीति स्तर पर समर्थित करने, लक्ष्य रखने एवं कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुख्य धारा परिस्थिति में सभी बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना तथा पूरे विद्यालयी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने, स्कूलों को अधिक समावेशी बनाने के लिए आवश्यक उपायोंको प्रदान करना है। समस्त बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालयों को आवंटित सामान्य वित्त पोषण को समावेशी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए, इसमें बच्चों की विफलता की स्थिति में विद्यालयों के लिए अतिरिक्त धन की सहायता भी शामिल है इसके अलावा इसमें अधिक गहन समर्थन की आवश्यकता वाले बच्चों पर अधिक धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। समावेशी शिक्षा प्रणाली के लिए अंतिम दृष्टि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी उम्र के सभी बच्चों को उनके स्थानीय समुदाय में अपने दोस्तों एवं सहपाठियों के साथ सार्थक उच्च गुणवत्तावाले अवसर प्रदान किए जाएँ।

संयुक्तराष्ट्र के तत्वाधान में कई अन्तर्राष्ट्रीय निकाय और एजेंसियाँ विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने एवं उसमें सुधार करने के लिए विभिन्न तरीकों से काम कर रहे हैं। इसमें आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग, विश्वबैंक, विश्वस्वास्थ्य संगठन, संयुक्तराष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनिसेफ इत्यादि शामिल है। इन सभी निकायों का काम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानक उपकरणों, कार्यक्रमों एवं क्रिया योजनाओं के साथ चल रहा है। शिक्षा के संबंध में इन सभी निकायों का कार्य सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके अलावा सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता की शिक्षा को सुनिश्चित करना है।

मार्टसन एण्ड मैगनूसन (1991) ने को–आपरेटिव टीचिंग प्रोजेक्ट (सी. टी. पी.) पर कार्य करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि विद्यालयी रूप से असफल छात्रों को समान कक्षा के साथ ही सप्ताह में कुछ समय विशेष अनुदेश न देने से उनकी उपलब्धि पर सामान्य बच्चों की तरह ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। काम्पस, बारबेट, लियोनार्ड एवंडेलक्वाद्री (1994) ने क्लासवाइज पीयरटयूटोरिंग (सी. डब्ल्यू. पी. टी.) विषय पर आत्मकेन्द्रित एवं गैर–आत्म केन्द्रित छात्रों को लेकर अध्ययन कार्य करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि आत्म केन्द्रित वाले वे छात्र जो पहले कम सामाजिक थे, सी. डब्ल्यू. पी. टी. के उपयोग बाद अत्यधिक सामाजिक हो गए। फुस, माथेस एवंसाइमन्स (1997) ने 'पीयर असिस्टेड लर्निंगस्ट्रेटजी (पी. ए. एल. एस.) की प्रभावशीलताकोअधिगम अक्षमता, गैरअधिगम अक्षमलेकिन कम उपलब्धि औरसामान्य उपलब्धि पर देखा, जिसमें इस समस्तछात्रोंकोहररोजसामान्य बच्चों के साथजोड़ीबनाकरऊँचीआवाजमें अध्ययन करनापड़ताथा, निष्कर्ष से पता चला कि अधिगम अक्षमता,

गैर–अधिगम अक्षम लेकिन कम उपलब्धि और सामान्य उपलब्धि वाले छात्रों की उपलब्धि पीयर असिस्टेडल निंगस्ट्रैट जी की वजह से सार्थक रूप से बढ़ गया।

सार्जेटरिपोर्ट (1994) के अनुसार, जहाँ तक संभव हो निःशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग नहीं किया जाना चाहिए, अंततः निःशक्त बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट व्यवहार किया जाना चाहिए। कोठारी आयोग के मुताबिक एक विकलांग बच्चे के लिए शिक्षा का पहला कार्य यह है कि सामान्य बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए सामाजिक–सांस्कृतिक पर्यावरण में समंजन के लिए उसे तैयार करें। इसलिए आवश्यक है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का ही एक अविछिन्न अंग हो अंतर केवल बच्चे को पढ़ाने की विधि और बच्चे द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनाए गए साधनों में होगा। इस क्षेत्र में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हम शिक्षा में उन्नत देशों से सीख सकते हैं।[4]

यह सच है कि विकलांग बालक अपने आपको दूसरे बालकों की अपेक्षा कमजोर तथा हीन समझते हैं, जिसके कारण उनके साथ पृथकता से व्यवहार किया जाता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में विकलांगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे बालक यह सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से कमजोर नहीं है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति को अग्रसर करती है। विकलांग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं। जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक, नैतिक गुणों, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। निःसंदेह विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी एवं खर्चीली है, इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक एवं शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अधिक समय लेते हैं जबकि दूसरी तरफ समावेशी शिक्षा कम खर्चीली तथा लाभप्रद है।

विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था की अपेक्षा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक विचार–विमर्श अधिक किये जोते हैं। विकलांग तथा सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। इस वातावरण में अपने सहपाठियों से सीखना, स्वीकार करना तथा स्वयं को दूसरों द्वारा स्वीकार कराया जाना समावेशी शिक्षा द्वारा ही संभव है। सामान्य वातावरण में छात्र उपयुक्तता की भावना तथा भावनात्मक समायोजन का विकास होता है। शैक्षिक योग्यता सामान्यतया समावेशी शिक्षा के वातावरण द्वारा संभव है। समावेशी शिक्षा के वातावरण के माध्यम से समानता के उद्देश्य की प्राप्ति की जानी चाहिए जिससे कोई भी छात्र अपने आपको दूसरों की अपेक्षा हीन न समझे। उपरोक्त तथ्यों से यह बात उभरकर सामने आती है कि वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा समस्त बालकों के लिए परमावश्यक है। परन्तु समावेशी शिक्षा के मार्ग में कुछ अवरोधक तत्त्व है।[5]दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। बिहार जैसे प्रदेश में समावेशी शिक्षा की सफलता में

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सरकार के क्रिया–कलाप की बदनामी तो होती है वहीं समाज–माता–पिता, अभिभाव शिक्षक व विद्यालय परिवार कम दोषी नहीं है।

समावेशी शिक्षा में बालकों के लिए तो यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। विशिष्ट बालक की विशेषताएँ साधारण बालकों की तुलना में अधिकतीव्र व विचित्र होती है। कुछ देशों में कक्षा का बड़ा आकार एवं छात्र–शिक्षक अनुपात का कम होना, सभी छात्रों एवं शिक्षकों के लिए समस्या है और एक कक्षा में अत्यधिक विविधता भी शिक्षकों के उत्साह को कम कर देता है। यह उस स्थिति में अत्यधिक सत्य प्रतीत होता है जब कक्षा में 100 या उससे अधिक छात्र हो जाते हैं। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के शिक्षक जब हताशा में अप्रासंगिक शिक्षणविधियों का उपयोगकरते हैं तो यह समावेशी शिक्षा के लिए एक चुनौती बन जाती है।[6]कुछ मामलों में छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने के लिए प्रोत्साहित न करना उन्हें मंद अधिगम की ओर ले जाता है। सबसे बुरी स्थिति तब हो जाती है जब शिक्षकों द्वारा छात्रों को दण्डित किया जाता है। इस तरह के व्यवहार से विकलांग बच्चे हाशिये पर जा सकते हैं। देश व प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा मंत्रालय भी जिम्मेदार है जो शिक्षकों की भर्ती, वित्तपोषण एवं संरचना में सुधार के अभियान में महती भूमिका निभाता है।

बिहार जैसे प्रदेश में बहुत से बच्चे स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं, पर्याप्त परिवहन की कमी, मुश्किल इलाके, खराब सड़कें और परिवारों के लिए संबद्ध लागत विकलांग लड़के और लड़कियों की शिक्षा के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। लड़कियों के लिए स्कूल की यात्रा करते समय उनकी सुरक्षा के डर के कारण यदि उनके माता–पिता उन्हें घर पर बैठा देते हैं तो वे शिक्षा से बहिष्कृत हो जाती है। माता–पिता एवं छोटे भाई–बहनों की देखभाल के लिए भी कुछ छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पाती है। स्कूल में शौचालय तक विकलांग बच्चों के पहुँच का अभाव भी एक प्रमुख बाधा है। यदि कोई बालक स्कूल में सभी दिन शौचालय का उपयोग नहीं कर सकता है तो उसके उपस्थित होने की संभावना कम ही है। यहाँ तक कि अगर शौचालयों को उनके लिए सुलभ बनाने के लिए अनुकूलित किया गया हो तो उसे बनाये रखा जाना चाहिए। कुछ ऐसे मामलों में जहाँ स्कूलों में शौचालय को विकलांगों के लिए अनुकूलित नहीं किया जाता है वे स्कूल विकलांग लड़के व लड़कियों को न रखने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि कोई भी सहायक स्टॉफ नहीं है जो बच्चों को बाथरूम तक ले जा सकते हैं।

बिहार में समावेशी शिक्षा की दिशा भटकी जैसी प्रतीत होती है। चूंकि समावेशी बालकों को भी सामान्य बालकों के समान औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था मिलनी चाहिए ताकि उन्हें कम से कम पढ़ने–लिखने और साधारण गणित का ज्ञान हो जाए। समावेशी बालकों की शिक्षा का स्तर उनके शारीरिक एवं मानसिक स्तर के अनुरुप होना चाहिए स्कूलों में अतिसमावेशी वातावरण की नहीं बल्कि समावेशी प्रशिक्षित शिक्षक की नितांत आवश्यकता है। अतः इस कमी को पूरा किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिये वर्तमान समय में ऐसी व्यवस्था हो जिससे घर से स्कूलों

तक आसानी से पहुँचा जा सके। कक्षा का बड़ा आकार एवं छात्र–शिक्षक अनुपात का कम होना एक बड़ी समस्या है, अतः हमें विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। बालकों के माता–पिता व शिक्षक उनकी समस्याओं को इस रूप में समझे कि वे भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सभी के समान आदर, सम्मान, विश्वास, स्नेह और सुरक्षा की आवश्यकताहै।समावेशीबालकों के व्यक्तित्व के विषय में पूर्ण जानकारी एवं समझ, शिक्षकों के लिए समावेशी बालकों के शिक्षण–प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सरल बना देगी। उपर्युक्त सुझावों के अनुरूप चल कर बिहार में वर्तमान समावेशी शिक्षा के मार्ग में जो बाधाएँ हैं, उसे दूर किया जा सकता है।

निष्कर्ष :

समाज के विभिन्न तबके के समुचित विकास के लिए विभिन्न शैक्षिक–आर्थिक योजनाओं के साथ बहुलतायुक्त समाज की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की तरफ गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में यह एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व भी है कि हाशिये पर पड़े हुए उन बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए जो किन्हीं कारणों से शिक्षा से वंचित हैं। इसमें विकलांग बालकों की संख्या अत्यधिक है। अतः वर्तमान समय में उनके लिए समावेशी शिक्षा की बात विश्व समुदाय कर रहा है। जो विकलांग एवं सामान्य दोनों ही बालकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। जरूरत है तो बस उनकी शिक्षा के संबंध में तथ्य परक जानकारी एकत्रित की जाए, उनकी परिस्थितियों के यथार्थ का व्यावहारिक आकलन करते हुए उचित नीतियाँ बनायी जाए, जिससे कि उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके और शिक्षा से दूर उन समस्त बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करते हुए उन्हें नई दिशा दी जाए। जब हम कहते हैं कि सभी बच्चे हमारे देश व प्रदेश के भविष्य हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएँ और उन्हें देश तथा समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार करें। इसके लिए शिक्षकों को आगे बढ़ना होगा चूंकि शिक्षक को ही समाज–निर्माण तथा समाज का मार्गदर्शक माना जाता है। उन्हें दीन–हीन, वंचित व विशिष्ट बालकों से आत्मीय संबंध बनाना होगा तभी समावेशी शिक्षा की सार्थकता सिद्ध होगी।

संदर्भ :

भार्गव, राजश्री, (2016) समावेशी शिक्षा, राजश्री प्रकाशन आगरा, पृ.–117
यूनेस्को, 2000 वर्ल्ड एजुकेशनफोरम
झा, मदनमोहन, 2005, समावेशीशिक्षा, दृष्टिकोण और प्रक्रियाएँ; प्रकाशन संस्थान, नयीदिल्ली, पृ.–25
कोठारी आयोग, 1964–66, पृ.–123
जोशी, प्रमोद, मार्च 2017, कुरूक्षेत्र, समावेशी शिक्षा की दिशा में प्रयास
ठाकुर, यतींद्र, 2016–17, समावेशी शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन, मेरठ, पृ.–163

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies